



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शुक्रवार, 26 मार्च 2021

चैत्र 5, 1943 शक सम्वत्

कार्यालय जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), लखनऊ

संख्या 228/जि०नि०कार्या०/प०निर्वा०-2021

लखनऊ, 26 मार्च, 2021

निर्वाचन की सूचना

राज्य निर्वाचन आयोग, उ० प्र०, लखनऊ की अधिसूचना संख्या 709/रा०नि०आ०अनु०-3/प०नि०/20-21/2021 दिनांक 26 मार्च, 2021 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन वर्ष 2021 के अन्तर्गत जनपद के समस्त ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा उनके सदस्यों एवं समस्त क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों और जिला पंचायतों के सदस्यों के सामान्य निर्वाचन कराये जाने हेतु निर्वाचन कार्यक्रम सहित चुनाव अधिसूचना निर्गत की गई है।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी उक्त अधिसूचना में दिये गये निर्देशों के क्रम में मैं, अभिषेक प्रकाश, जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) जनपद लखनऊ एतद्वारा जनपद स्तर से सारिणी में उपदर्शित निम्नवत् निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार जनपद के समस्त ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा उनके सदस्यों एवं समस्त क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों और समस्त जिला पंचायतों के सदस्यों की आरक्षण सूची संलग्न करते हुए सामान्य निर्वाचन की सूचना निर्गत करता हूँ।

चुनाव चक्र	नामांकन का दिनांक व समय	नामांकन पत्रों की संवीक्षा का दिनांक व समय	उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक व समय	प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6	7
द्वितीय चरण	7 अप्रैल, 2021 से 08 अप्रैल, 2021 (पूर्वाह्न 8.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक)	09 अप्रैल, 2021 से 10 अप्रैल, 2021 (पूर्वाह्न 8.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	11 अप्रैल, 2021 (पूर्वाह्न 8.00 बजे से अपराह्न 3 बजे तक)	11 अप्रैल, 2021 (अपराह्न 3.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	19 अप्रैल, 2021 (सोमवार) (पूर्वाह्न 7.00 बजे से अपराह्न 6.00 बजे तक)	02 मई, 2021 (पूर्वाह्न 8.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

उपर्युक्त निर्वाचन की सूचना के अधीन निर्वाचन अधिकारी अपने से सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा उनके सदस्यों एवं समस्त क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों और जिला पंचायतों के सदस्यों के स्थानों/पदों पर निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण सहित पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सार्वजनिक सूचना दिनांक 27 मार्च, 2021 को निर्गत करेंगे और उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को तत्काल प्रेषित करेंगे।

इस चुनाव कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार किया जायेगा और ग्राम पंचायतों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, विकास खण्ड जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय के सूचना पट्टों में यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाएगा। उक्त सामान्य निर्वाचन उत्तर प्रदेश पंचायतराज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 के अनुसार सम्पन्न होगा। निर्वाचन अधिकारी की सूचना निर्गत किए जाने के दिनांक 27.03.2021 से नामांकन पत्रों का विक्रय किया जायेगा।

उक्त सामान्य निर्वाचन में प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत के नामांकन पत्रों का विक्रय, नामांकन पत्रों के दाखिल करने, उनकी संवीक्षा करने, उम्मीदवारी वापस लेने तथा चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालय पर होगा। सदस्य जिला पंचायत के नामांकन पत्रों का विक्रय, नामांकन पत्रों के दाखिल करने, उनकी संवीक्षा करने, उम्मीदवारी वापस लेने तथा चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य जिला पंचायत मुख्यालय पर होगा। ग्राम पंचायत के प्रधानों, सदस्यों एवं क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के मतों की गणना तथा परिणाम की घोषणा सम्बन्धित विकास खण्ड के लिये निर्धारित मतगणना स्थल पर की जायेगी। जिला पंचायत के सदस्यों के मतों की गणना विकास खण्ड के अन्तर्गत निर्धारित मतगणना स्थल पर की जाएगी तथा परिणाम की घोषणा जिला पंचायत मुख्यालय पर की जायेगी।

उपर्युक्त निर्वाचन में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित और निर्देशित निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जायेगी तथा अधोहस्ताक्षरी के निर्देशन एवं मार्ग दर्शन में रहते हुए निर्वाचन सम्पादित कराया जायेगा। निर्वाचन प्रक्रियाओं के लिए निर्धारित तिथि एवं समयों के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

आज्ञा से,
अभिषेक प्रकाश,
जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत),
लखनऊ।